

समाहरणालय, कटिहार
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

—:आ दे श:—

अपर आयुक्त, नि:शक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 1174/आ0 नि0 को0 दिनांक 30.10.2019 के आलोक में डॉ शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त, नि:शक्तता, बिहार, पटना का कटिहार जिला में दिनांक-18.12.2019 से 20.12.2019 को दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई निष्पादन हेतु समीक्षा बैठक एवं चलन्त न्यायालय (मोबाईल कोर्ट) व अन्य से संबंधित कार्यक्रम निम्न प्रकार है :-

क्र0	तिथि	समय	कार्यक्रम	स्थान	नोडल पदाधिकारी
1.	17.12.2019	07:00 पूर्वा0 से 03:00 अप0तक	जिला में विभिन्न प्रखण्डों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अंतर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभकेसी/समीक्षात्मक बैठक	प्रखंड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, कटिहार।
		04:00 बजे अप0 से।	इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि के साथ सम्वाददाता सम्मेलन/प्रेस वार्ता।	जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क का सभाकक्ष	जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार।
2.	18.12.2019	07:00 पूर्वा0 से 10:00 पूर्वा0 तक	जिला में विभिन्न प्रखण्डों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अंतर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभकेसी/समीक्षात्मक बैठक	प्रखंड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, कटिहार।

	<p>10:00 से 12:00 बजे अप0 तक</p>	<p>विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक। (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा) उपस्थिति :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप विकास आयुक्त, कटिहार। 2. जिला विधिक सेवा प्राधिकार। 3. उप समाहर्ता प्रभारी बैंकिंग 4. उप पुलिस अधीक्षक कटिहार (मुख्यालय) 5. अपर समाहर्ता, कटिहार। 6. सभी अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार। 7. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटिहार। 8. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार। 9. श्रम अधीक्षक, कटिहार। 10. उप समाहर्ता जिला आपदा, प्रबंधन/प्राधिकरण 11. जिला वन एवं पर्यावरण पदाधिकारी। 12. जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार 13. निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कटिहार। 14. जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कटिहार। 15. जिला नियोजन पदाधिकारी, कटिहार। 16. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल/पथ प्रमंडल, कटिहार। 17. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (सर्व शिक्षा अभियान) कटिहार। 18. जिला कल्याण पदाधिकारी, कटिहार। 19. जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार। 20. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, कटिहार। 21. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कटिहार। 22. जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार। 23. जिला अभियंता, जिला परिषद, कटिहार। 24. जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार। 25. जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार। 26. जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी, कटिहार। 27. जिला खेल-कूद पदाधिकारी, कटिहार। 28. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कटिहार/अनु0लो0शि0नि0 पदा0 कटिहार, मनिहारी एवं बारसोई। 29. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद मनिहारी एवं बारसोई। 30. जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण, कटिहार। 31. कारा अधीक्षक, कटिहार। 32. जिला उप निर्वाचन, पदाधिकारी, कटिहार। 33. भूमि सुधार उप समाहर्ता, कटिहार। 34. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कटिहार। 35. सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, कटिहार। 36. प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक, कटिहार। 37. जिला प्रबंधक, जिविका। 38. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत 39. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, कटिहार। 40. जिला हेड, ग्रहक सेवा केन्द्र (CSC) 	<p>सभा कक्ष समाहरणालय कटिहार</p>	<p>सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा / दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, कटिहार।</p>
	<p>12:00 बजे से 01:00 बजे अप0 तक</p>	<p>अपर पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक एवं जिले के प्रमुख थाना प्रभारी (SHO) विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक।</p>	<p>पुलिस सभागार</p>	<p>इस बैठक के आयोजन हेतु पुलिस अधीक्षक, कटिहार अपने स्तर से नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। साथ ही सभी संबंधित को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करेंगे।</p>

		01:00 से 02:00 तक।	विभिन्न कॉलेज/कोचिंग संस्थान एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक। उपस्थिति :- 1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार। 2. प्रधानाचार्य, कटिहार जिला अंतर्गत सभी महाविद्यालय 3. प्रधानाचार्य, पोलिटिकल कॉलेज,	शिक्षा विभाग सभाकक्ष	उप विकास आयुक्त, कटिहार।
		02:00 से 3:00 तक।	लीड बैंक के साथ स्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधि के साथ बैठक। उपस्थिति :- 1. जिला बैंकिंग उप समाहर्ता, कटिहार। 2. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, कटिहार। 3. कटिहार जिला अंतर्गत सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक।	सभा कक्ष समाहरणालय कटिहार	बैंकिंग उप समाहर्ता, पदाधिकारी, LDM कटिहार।
		03:00 से 4:00 तक।	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धारा 13(2) के तहत ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पॉल्सी एवं बहु दिव्यांग के पुनर्वास की व्यवस्था हेतु जिला स्तरीय लोकल लेवल कमिटी की बैठक/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक	जिला पदाधिकारी कक्ष	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, कटिहार।
		04:00 से 05:00 तक।	रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मॉल का निरीक्षण। उपस्थिति :- 1. स्टेशन अधीक्षक/उपाधीक्षक, कटिहार। 2. जिला उद्योग पदाधिकारी, कटिहार। 3. नगर आयुक्त/ नगर परिषद/ सदर अनमंडल पदाधिकारी कटिहार।	रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मॉल इत्यादि जगहों पर	नगर आयुक्त/ सदर अनमंडल पदाधिकारी कटिहार।
		07:00 पूर्वाह्न से 09:00 पूर्वाह्न तक	जिला में विभिन्न प्रखण्डों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अंतर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके	प्रखंड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, कटिहार।
		09:00 बजे से 11:00 तक	सदर अस्पताल का निरीक्षण	सदर अस्पताल	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार।
		11:00 बजे से 01:00 बजे तक	जनप्रतिनिधियों/पंचायत प्रतिनिधि / बोर्ड प्रतिनिधि/सिविल सोसाईटी/ समाजसेवी के साथ बैठक। उपस्थिति :- 1. नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार। 2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मनिहारी एवं बारसोई। 3. नगर निगम/ नगर परिषद सभी पार्षद। 4. सभी प्रखंडों के प्रमुख।	सभागार, विकास भवन, कटिहार।	उप विकास आयुक्त/ नगर आयुक्त नगर निगम, / जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कटिहार संयुक्त रूप से।
3	19.12.2019	02:00 से 03:00 तक।	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला तथा प्रखंड स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राईवेट एवं सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक (एडीवोकेसी बैठक) उपस्थिति :- 1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार। 2. सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, (शिक्षा), कटिहार जिला। 3. सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार जिला। 4. सभी प्राईवेट एवं सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य।	डी0आर0सी0सी0 कटिहार।	जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार।
		03:00 से 04:00 बजे तक	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार एवं प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सकों/ जिला दिव्यांगता प्रमाणीकरण के सदस्य (बोर्ड मेंबर) तथा प्रपत्रों रजिस्टर मेन्टन हेतु पी0एच0सी0 के क्लर्क एवं सहायक के साथ बैठक।	सदर अस्पताल	एस0डी0सी0 (स्वास्थ्य सेवा)/असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार।
		04:00 से 05:00 बजे तक	डी0पी0ओ0, आई0सी0डी0एस0 सभी सी0डी0पी0ओ0 एवं ऑगनबाडी पर्यवेक्षिका विकास मित्र, न्याय मित्र, समावेशी शिक्षकों एवं बुनियाद केन्द्र के कर्मचारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0 एल0 वी0 के वोलेंटीयर्स के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक।	चलन्त न्यायालय का आयोजन स्थल पर	डी0पी0ओ0 आई0सी0डी0एस0 जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार।

4.	20.12.2019	10:00 पूर्व० से 07:00 अप० (अंतिम निष्पादन तक)	दिव्यांजनों के परिवारों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय। (लोक अदालत)	हरिशंकर नायक उच्च विद्यालय, कटिहार	जिला पदाधिकारी/ उप विकास आयुक्त/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, कटिहार।
----	------------	--	--	--	---

राज्य आयुक्त निःशक्तता के उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निम्न प्रकार से निदेश दिये जाते हैं :-

1. जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार दिनांक 17.12.2019 को 4:00 बजे अप० से जिला सूचना एवं जनसंपर्क का सभाकक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस हेतु जिलान्तर्गत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के प्रतिनिधि को भाग लेने हेतु अनुरोध-पत्र अपने स्तर से निर्गत करेंगे तथा अपनी उपस्थिति में नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. दिनांक 18.12.2019 को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक सभा कक्ष समाहरणालय, कटिहार में आयोजित समीक्षात्मक बैठक हेतु सभी संबंधित पदाधिकारी उनसे संबंधित प्रतिवेदन अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 1174/आ० नि० को० दिनांक 30.10.2019 (छाया प्रति संलग्न)के अनुरूप वांछित प्रतिवेदन तैयार कर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, कटिहार को दिनांक 16.12.2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ बैठक में भी भाग लेंगे।
3. दिनांक 18.12.2019 को 12:00 बजे से 01:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु पुलिस अधीक्षक, कटिहार अपने स्तर से नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे तथा पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कटिहार एवं सभी थानों के थाना प्रभारी को अपने स्तर से बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित करेंगे।
4. उप विकास आयुक्त, कटिहार दिनांक 18.12.2019 को 01:00 बजे से 02:00 बजे तक आयोजित बैठक में नोडल पदाधिकारी के रूप में सूचारु रूप से बैठक सम्पन्न करायेंगे।
5. जिला बैंकिंग उप समाहर्ता, कटिहार दिनांक 18.12.2019 को 02:00 बजे से 03:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, कटिहार के साथ समन्वय स्थापित कर सभी बैंको के शाखा प्रबंधक की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु बैठक में भाग लेने के लिए उन्हें अलग से पत्र भी निर्गत किया जाय।
6. नगर आयुक्त/ अनुमण्डल पदाधिकारी, कटिहार दिनांक 18.12.2019को 04:00 बजे से 05:00 बजे तक उनके निरीक्षण के दौरान उनके वाहन के साथ भ्रमणशील रहेंगे। उनसे निदेश प्राप्त कर उनके निरीक्षण में आवश्यक सहयोग देंगे।
7. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार दिनांक 19.12.2019 को 09:00 से 11:00 बजे पूर्वा० में सदर अस्पताल, कटिहार के निरीक्षण हेतु आवश्यक तैयारी पूर्व से पूर्ण कर लेंगे। साथ ही निरीक्षण में अपने स्तर से आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
8. उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कटिहार संयुक्त रूप से दिनांक 19.12.2019 को 11:00 बजे से 01:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु अपने स्तर से सभी को सूचित करेंगे।
9. जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार 19.12.2019 को 02:00 बजे से 03:00 बजे आयोजित बैठक को नोडल पदाधिकारी के रूप में सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे तथा सभी कॉलेज

एवं शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापकों को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करेंगे।

10. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार दिनांक 19.12.2019 को 03:00 बजे से 04:00 बजे आयोजित बैठक हेतु अपने स्तर से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटिहार जिला को भाग लेने हेतु निदेश देंगे। साथ ही नोडल पदाधिकारी के रूप में बैठक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
11. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार दिनांक 19.12.2019 को 04:00 बजे से 05:00 बजे तक आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी ऑगनवाडी पर्यवेक्षिका को अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति भी सुनिश्चित करेंगे।
12. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार से अनुरोध है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0 एल0 वी0 के वोलेंटीयर्स को दिनांक 19.12.2019 को 04:00 बजे से 05:00 बजे अप0 में आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु निदेश देंगे।
13. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र स्वयं अपने सभी कर्मियों के साथ दिनांक 20.12.2019 को 10:00 बजे पूर्वा0 से कार्यक्रम समाप्ति तक निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहेंगे।

उपरोक्त के अलावे जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निम्न प्रकार से कर्तव्य निर्धारित किये जाते हैं :-

1. नजारत उप समाहर्ता, कटिहार :- भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित अवधि में जिला अतिथि गृह, कटिहार में उनके आवासन एवं भोजनादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। राज्य आयुक्त निःशक्तता दिनांक 17.12.2019 से 21.12.2019 तक जिला अतिथि गृह, कटिहार में रहेंगे। अतः 24 घंटे उनके साथ एक कार्यालय परिचारी की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः नजारत उप समाहर्ता के द्वारा तीन सिफ्टों में कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति 17.12.2019.2019 से 21.12.2019 तक के लिए की जायेगी। तथा दिनांक 20.12.2019 को चलंत न्यायालय (हरिशंकर नारायण उच्च विद्यालय) में तीन कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। जिनके द्वारा चलंत न्यायालय के कार्य में सहयोग किया जायेगा।
2. स्थापना उप समाहर्ता, कटिहार :-
(क) जिला अतिथि गृह, कटिहार में दिनांक 17.12.2019 से 21.12.2019 तक एक लिपिक, एक कार्यपालक सहायक एवं एक कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति कार्यालय अवधि में की जायेगी, जिनके द्वारा राज्य आयुक्त निःशक्तता के निदेशानुसार प्रतिवेदन आदि का संग्रहण किया जायेगा।
(ख) दिनांक 20.12.2019 को चलंत न्यायालय (हरिशंकर नारायण उच्च विद्यालय) में 04 आशुलिपिक (डिक्टेसन प्राप्त करने तथा आदेश निर्गत करने हेतु) जिनके द्वारा चलंत न्यायालय के कार्य में सहयोग किया जायेगा।
3. प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, कटिहार को निदेश दिया जाता है कि चलन्त न्यायालय में विधि-व्यवस्था हेतु संयुक्त आदेश निर्गत करने की व्यवस्था की जाय।
4. सिविल सर्जन, कटिहार दिनांक 20.12.2019 को लोक आदालत के दौरान दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु मनो चिकित्सक सहित जाँच दलों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे।

5. सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी कटिहार दिनांक 17.12.2019 से 21.12.2019 तक प्रति दिन लोक अदालत का प्रचार प्रसार स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, हैण्ड बिल के द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा सी0डी0पी0ओ0 के माध्यम से कार्यक्रम का प्रचार कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. राज्य आयुक्त निःशक्तता के लाईजेनिंग पदाधिकारी के रूप में श्री राहुल रौशन जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, कटिहार को राज्य आयुक्त, निःशक्तता बिहार के कटिहार जिला आगमन से उनके प्रस्थान करने तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।
8. कटिहार जिलान्तर्गत सभी कार्यालयों के कार्यालय प्रधान चलन्त न्यायालय की तिथि को ससमय चलन्त न्यायालय में उपस्थित रहेंगे एवं प्राप्त होने वाले शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक : - अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 1174/आ0 नि0 को0 दिनांक 30.10.2019 (छाया प्रति संलग्न)।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक - 500 / सा0 सु0 दिनांक - 12/12/2019

1. कटिहार जिला अन्तर्गत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के पत्रकारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयं सेवी संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार /असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार/श्रम अधीक्षक, कटिहार/जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कटिहार/जिला नियोजन पदाधिकारी, कटिहार/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल/पथ प्रमंडल/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, कटिहार/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, कटिहार/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कटिहार/जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार/जिला अभियंता, जिला परिषद, कटिहार/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार/जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार/जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी, कटिहार/जिला खेल कूद पदाधिकारी, कटिहार/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, कटिहार/नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार/जिला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, कटिहार/निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कटिहार/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0

कटिहार/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार/कारा अधीक्षक, कटिहार/उप निर्वाचन पदाधिकारी, कटिहार/भूमि सुधार उप समाहर्ता, कटिहार /प्रभारी पदाधिकारी, जिला बैंकिंग शाखा, कटिहार/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कटिहार जिला प्रबंधक, जिविका, कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित निदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 1174/आ0 नि0 को0 दिनांक 30.10.2019 (छाया प्रति संलग्न) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

5. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित निदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 1174/आ0 नि0 को0 दिनांक 30.10.2019 (छाया प्रति संलग्न) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
6. नजारत उप समाहर्ता, कटिहार एवं स्थापना उप समाहर्ता, कटिहार को निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, कटिहार को प्रतिवेदित करेंगे।
7. अपर समाहर्ता, कटिहार/उप विकास आयुक्त, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. पुलिस अधीक्षक, कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त तिथि को राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार के लिए स्कॉट, अंगरक्षक एवं होम सुरक्षा के साथ-साथ दिनांक 20.12.2019 को चलन्त न्यायालय के स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुरुष एवं महिला बल की व्यवस्था करने की कृपा की जाय।
9. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार को सूचनार्थ। अनुरोध है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0 एल0 भी0 के भोलेनटीयरस के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक के लिए समुचित कार्रवाई अपने स्तर से करने की कृपा की जाय।
10. सचिव, रेड क्रॉस सोसाईटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
11. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
12. आयुक्त पूर्णियाँ प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
13. राज्य आयुक्त, निःशक्तता को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
14. निदेशक, दिव्यांगता सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



जिला पदाधिकारी,
कटिहार।